(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक-3906-दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 16-9-2013 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील रघुराजनगर प्रकरण क्रमांक- 45/अ-12/2012-13

श्रीमती भागीबाई पत्नी स्व0 परचामल तोलवानी
निवासी जीवन ज्योति कालोनी सतना तहसील
रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

---- आवेदिका

विरूद्ध

1- बेदान्ती त्रिपाठी तनय रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी
निवासी झंकार टाकीज के पास एम0पी0नगर
सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
2- म0प्र0 शासन द्वारा राजस्वनिरीक्षक सतना प्रथम
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

---अनावेदकगण

श्री एस0 पी0 धाकड़ , अभिभाषक, आवेदिका
श्री बी0 एन0 त्यागी , अभिभाषक, 2, अनावेदक
अनावेदक-1 पूर्व से एक पक्षीय है

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 .6. 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 45/अ-12/2012-13 पारित आदेश दिनांक 16-9-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा कोलगवां तहसील रघुराजनगर जिलासतना अन्तर्गत स्थित आराजी न0 404/1क/29 एव न0 404/1/1क/30 रकवा क्रमशः 0.011 है0 एवं 0.011 है0 की भूमि स्वामिनी श्रीमती रूपा गुप्ता पुत्री रामकृपाल गुप्ता निवासी सरस्वती स्कूल रोड सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना थी जिनसे निगराकार ने उक्त आराजी का अंश रकवा उत्तर दक्षिण -15 फिट एवं पूरब पशिचम 40 फिट बराबर 600 वर्ग फिट को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.8.09 को कय किया जिसकी दौहदद्दी इस प्रकार है उत्तर श्रीमती कंचनदेवी सुशील को बेचा गया भूखंड दक्षिण चंदूभाई पटेल की आराजी पूरब श्रीमती कमला जैन की आराजी पश्चिम अनिर्मित रास्ता विकय पत्र पंजीयन उपरांत निगराकार के पक्ष विधिवत नामान्तरण हो जाने पर आराजी का नं0 404/1/1क/29/1एवं 404/1/1क/30/1 हो गया जिसका विधिवत डायवर्सन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर सतना के न्यायालय के आदेश दिनांक 5.11.09 से आवेदक के नाम हो गया। आवेदक के द्वारा विधिवत नगर पालिक निगम सतनासे नक्शा पास कराने के उपरांत अपने रहायशी मकान का निर्माण कार्य जारी किया। तहसीलदार के यहां दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये सीमाकंन दिनांक 16.9.13 को ही आदेश पारित कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3-आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार रघुराजनगर का उक्त पारित आदेश दिनांक 16.9.13 विधि के विपरीत है ! खातेदार बेदान्ती त्रिपाठी को तो सूचना जारी की गई लेकिन आवेदक को इसकी सूचना नहीं दी गई है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को सूचना सीमांकन कराने की कम से कम 5 दिन पूर्व देना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं दी गई । उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही में बहुत ही त्रुटियां हैं । अंत में निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.9.13 निरस्त किया जावे।

4- अनावेदक -2 शासन के पैनल अधिवक्ता श्री बी0 एन0 त्यागी का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा जो सीमांकन करया है वह सही है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । तथा आवेदक की प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

5- उपभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। तहसीलदार तहसील रघुराजनगर के आदेश एवं उसमें संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया कि सरहदी हितबद्ध पक्षकारों सूचना दी गई है लेकिन आवेदक भागी वाई के हस्ताक्षर नहीं है इससे यह सिद्व होता है कि इन्हें बिना सूचना दिये बगैर सीमांकन की कार्यवाही की गई है। जो मैं उचित नहीं समझता हूँ ।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील रघुराजनगर का आदेश दिनांक 16.9.13 निरस्त किया जाता है। निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सीमांकन हेतु टीम गठित कर सरहदी हितबद्व पक्षकारों को सूचना एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदाय करते हुये सीमांकन की कार्यवाही पुनः करें ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर